न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–02 / 2020 (2020 / 00147) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–सुवा पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 09.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की खातेदारी साबिक आराजी संख्या 76 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 77 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 78 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 79 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 80 व 81 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 98 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा साबिक जमाबन्दी में अन्य आरायिजात के साथ स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात के चारो तरफ प्रार्थी ने पत्थर की दीवार कर रखी है जो करीब 40 वर्ष से चली आ रही है तथा प्रार्थी की उक्त आराजियात बिलानाम साबिक आराजी संख्या 75 रास्ता से लगती हुई है। मौके पर प्रार्थी साबिक नक्शे अनुसार काबिक होकर काश्त करते चले आ रहा है। ग्राम थोरियाखेड़ा के भूप्रबन्ध होने से साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर 116, 117, 118, 119, 120, 148 कायम किये गये तथा विपक्षी की आराजी संख्या 75 के नवीन नम्बर 115 रकबा 0.79 है0 किस्म गै.मु. रास्ता कायम किये गये। भु–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रार्थी द्वारा साबिक आराजी के नवीन नम्बर एवं रकबा तो जमाबंदी में सही अंकित किया गया पर नवीन नक्शाट्रेस में प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 116, 117, 118, 119, 120 के रकबे को उत्तर की तरफ खिसकाते हुए साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम करते हुए प्रार्थी की नवीन आराजियात की जगह विपक्षी की आ.स. 115 का रकबा बढ़ा कर दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी की नवीन कृषि आराजियात पर प्रार्थी की पत्थर की दीवार बनी हुई है। भुप्रबंध विभाग के उक्त कृत्य से मौके पर विवाद बना हुआ है तथा गांव वालो द्वारा रास्ते की भूमी में अतिक्रमण करने की शिकायत करने पर विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमी से प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास किया [illegible] है जबकि मौके पर पर्याप्त लम्बाई एवं चौड़ाई में रास्ता मौजूद है। भुप्रबन्ध विभाग के [illegible] एवं कर्मचारियों को बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थी की नवीन आराजियात के नक्शे [illegible] फेरबदल करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिससे प्रार्थी की नवीन आ.स. 116, 117, 118, 119, 120 व [illegible] की आ. सं. 115 को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार नवीन नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम थोरियाखेड़ा के स्थित प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 115 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 15:37:16 IST
Reason: SelfAttested

एवं मौके की स्थिति के अनुसार दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 04.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी कमांक 1 की और से प्रकरण में जवाब के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली हैं।

तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम थोरियाखेड़ा की प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की अराजी संख्या के दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 115 रकबा 0.79 है0 किस्म बिलानाम रास्ता दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के खसरा नम्बर एवं मौके की कब्जे की निशानदेही की गई जिसमें प्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 115 में कही 4 मीटर और कही 6 मीटर तो कही 8 मीटर कुल 14 मीटर व 2 मीटर व कही 5 मीटर चौड़ाई में खसरा नम्बर 115 आता है जिस पर थोर की बाड़ व कही पर करीब 200 से 250 फीट लम्बाई में कच्ची पत्थर की दीवार बना रखी है। खसरा नम्बर 150 व 151 कुल रकबा 0.08 है0 सम्पूर्ण पर प्रार्थी का कब्जा है। खसरा नम्बर 116 से 120 एवं 148 के उत्तर की तरफ थोर की पुरानी बाड़ है जिसके उपर अन्य खातेदारान के खेत है। इस प्रकार प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 115 में बढ़ा हुआ कब्जा का रकबा 0.14 है0 के लगभग आता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल, नीली स्याही से आच्छादित किया गया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 116, 117, 118, 119, 120 व 148 का रकबा साबिक जमाबन्दी के मुकाबले सही दर्ज किया गया है जिसको प्रार्थी स्वयं भी मानता है साबिक नक्शे में भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि से दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 75 एवं 99 बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड थे और उन्ही खसरा नम्बरान के नवीन नम्बर 115 व 149 बनाये गये जो प्रार्थी के खातेदारी के नही है। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी के साथ बिलानाम भूमि में अतिकमण कर बाड़ कर रखी है जिसको 136 के माध्यम से दुरस्ती करा अपना नाम कराना चाहता है जो उचित नही है। चुकिं प्रार्थी के खाते में जितना रकबा साबिक रेकार्ड में था उतना ही रकबा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। रेकार्ड में दर्ज रकबे से ज्यादा रकबे पर प्रार्थी का वर्तमान कब्जा है जिसको दुरस्त कराना चाहता जो संभव नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थी के नाम साबिक रकबे के अनरूप वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा सही पाया गया ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2020 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 16:37:16 IST
Reason: SelfAttested

9.2.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा